निर्णय

प्रार्थी वास्ते निर्णय पेश हुआ। उपस्थित पक्ष उपस्थित।
बाद वारिस अवलोकन किया गया तो निस्तारण
आदेश किया जाना उचित है। बाद जरूरी कार्यवाही दाखिल
हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2024/176

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री सन्दीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–73/2024 Gcms:-2024/176 दायरा दिनांकः–18.03.2024

अनवानः–

1. प्रेमचन्द पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खोथावाली तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0।

——वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खोथावाली तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गंगाजल } पि0 उदाराम जाति जाट निवासी खोथावाली तह0 पीलीबंगा जिला
3. बद्रीराम } हनुमानगढ।
4. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सूरावाली तह0 पीलीबंगा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 रा0का0 अधिनियम

उपस्थितः–

1. संजय शर्मा, अधिवक्ता वादी
2. हरिसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3
3. अजय कुमार अरोड़ा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02
4. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः–17.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 सगे भाई है एवं संयुक्त परीवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 135 के प0 नं0 29/263 (36) के किला नं0 1 ता 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 18/0.253 है0, 19/0.253 है0, 23/0.253 है0, 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 2.530 है0 (नहरी 2.480 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0) प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के नाम।

(ख) चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता [illegible] प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 11 ता 14/1.012 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में [illegible] है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 ता 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 3.795 है0 (नहरी 3.720 है0, खाला 0.075 है0) में प्रतिवादी सं0 1 का [illegible]2 हिस्सा यानि 1.897 है0, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/2 यानि 1.898 है0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ग) चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 107 के प0 नं0 29/262 (19) में किला नं0 1/1 ता 15/2 में 3.795 है0 (नहरी 3.530 है0, गै0मु0रास्ता 0.265 है0) (वादी के नाम 1/5 हिस्सा, यानि 0.759, प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1139/3795 यानि 1.139 है0, शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 व 3 का है)

उपरोक्त कुल भूमि मुताबिक रिकॉर्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम 5.5665 है0 भूमि दर्ज है एवं वादी के नाम 0.759 है0 दर्ज है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में उपरोक्त अनुसार दर्ज है। लेकिन मुताबिक घरेलू बंटवारा एवं संयुक्त परीवार की अन्य भूमि एवं सम्पति की स्थिति अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम कब्जा में निम्न प्रकार से धारित है।

(क) वादी प्रेमचन्द के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 21 ता 24/1.012 है0, 25/1 में 0.228 है0 , 25/2 में 0.025 है0 = 1.265 है0 नहरी मय खाला, एवं चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 135 के प0 नं0 29/263 (36) के किला नं0 1 ता 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 18/0. 253 है0, 19/0.253 है0, 23/0.253 है0, 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 2.530 है0 (नहरी 2.480 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0) कुल 3.795 है0।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ख) प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 107 के प0 नं0 प0 नं0 29/262 (19) में किला नं0 1/1 ता 7, 8/0.126 है0 = 1.897 है0। चक 32 एम. ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 13/0.126 है0, 14–15/0.506 है0 = 0.632 है0 कुल 2.529 है0।

खाता सं0 28 में प्रतिवादी सं0 2 गंगाजल एवं खाता सं0 107 में प्रतिवादी सं0 2 गंगाजल व प्रतिवादी सं0 3 बद्रीराम सहखातेदार है इन खातो की शेष भूमि दर्ज हिस्सा उनके कब्जा काश्त में है। रिकॉर्ड एवं मौका कब्जा में भिन्नता होने के कारण राजकीय कार्य सम्बन्धी अनेक कठिनाईया उत्पन्न हो रही है। इसलिए इन कठिनाईयों के निराकरण हेतु मुताबिक कब्जा हको की घोषणा करवारकर खाता विभाजन करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण, वादी द्वारा कहने पर भी खाता विभाजन करवाने हेतु सहमत नही हुए है। दिनांक 25.01.2024 को खाता विभाजन की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। इसके पश्चात् वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी सहखातेदार होने के नाते हको की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है एवं कब्जा अनुसार आवश्यक विनिमय का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अनुतोष में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र में प्रश्नगत कुल भूमि का खाता विभाजन कर आवश्यक विनिमय आदेश जारी कर वाद पत्र की दफा 3 में अंकित कब्जा काश्त के विवरण अनुसार अलग खाता कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 की तरफ से श्री हरिसिंह भाटी एडवोकेट एंव प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से श्री अजय कुमार अरोड़ा एडवोकेट उपस्थित आए एवं जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनो को स्वीकार कर वादपत्र में अंकित कब्जा अनुसार विभाजन किए जाने पर सहमति प्रकट

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यो के विपरीत कथन नहीं किए जाने के कारण कोई तनकी कायम नहीं की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया एवं समस्त तथ्य वादी द्वारा सिद्ध किए जाने एवं नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने का निवेदन किया। तत्पश्चात साक्ष्य में वादी की तरफ से वादी प्रेमचन्द ने उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी को प्रदर्श करवाया एवं मुताबिक कब्जा खाता विभाजन करने का कथन किया। प्रतिवादीगण ने अपने शपथ पत्र में वादपत्र एवं वादी के शपथ पत्र का विरोध नहीं किया।

वादपत्र के अभिवचन एवं शपथ पत्र एवं प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है एवं वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति मे भूमि के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में वादपत्र स्वीकार कर वाद पत्र में अंकित पक्षकारो के मौका कब्जा अनुसार हको की घोषणा करते हुए खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवारा को स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मौका कब्जा अनुसार खातेदारी हको की घोषणा करते हुए वादपत्र में वर्णित कुल भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की दफा 02 में कुल कृषि भूमि का खाता विभाजन मुताबिक कब्जा निम्न प्रकार से किया जाता है :–

(क) वादी प्रेमचन्द के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 21 ता 24/1.012 है0, 25/1 में 0.228 है0 , 25/2 में 0.025 है0 = 1.265 है0 नहरी मय खाला, एवं चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 135 के प0 नं0 29/263 (36) के किला नं0 1 ता 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 18/0.253 है0, 19/0.253 है0, 23/0.253 है0, 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 2.530 है0 (नहरी 2.480 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0) कुल 3.795 है0।

(ख) प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 107 के प0 नं0 प0 नं0 29/262 (19) में किला नं0 1/1 ता 7, 8/0.126 है0 = 1.897 है0। चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 13/0.126 है0, 14–15/0.506 है0 = 0.632 है0 कुल 2.529 है0।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिया जाता है। यदि प्रश्नगत रकबा रहन है तो वह संबंधित खातेदार के पक्ष में य[illegible] र[illegible]। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बा[illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

<u>डिक्री व मुकदमें इब्तदाई</u>
(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर</u>
<u>पीठासीन अधिकारीः–श्री सन्दीप कुमार (आर.ए.एस.)</u>

1. प्रेमचन्द पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
   – वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. गंगाजल } पिसरान उदाराम जाति जाट निवासी खोथावाली
3. बद्रीराम } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सुरांवाली तहसील पीलीबंगा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 73/2024 (GCMS No. 2024/176) यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री संजय शर्मा, वकील प्रतिवादीगण श्री हरिसिंह भाटी व श्री अजय कुमार अरोड़ा तथा पैरोकार राज के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है किः–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवारा को स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मौका कब्जा अनुसार खातेदारी हको की घोषणा करते हुए वादपत्र में वर्णित कुल भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की दफा 02 में कुल कृषि भूमि का खाता विभाजन मुताबिक कब्जा निम्न प्रकार से किया जाता है :–

(क) वादी प्रेमचन्द के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 21 ता 24/1.012 है0, 25/1 में 0.228 है0 , 25/2 में 0.025 है0 = 1.265 है0 नहरी मय खाला, एवं चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 135 के प0 नं0 29/263 (36) के किला नं0 1 ता 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 18/0.253 है0, 19/0.253 है0, 23/0.253 है0, 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 2.530 है0 (नहरी 2.480 है0, गै0मु0रास्ता 0.050 है0) कुल 3.795 है0।

(ख) प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के कब्जा की चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 107 के प0 नं0 प0 नं0 29/262 (19) में किला नं0 1/1 ता 7, 8/0.126 है0 = 1.897 है0। चक 32 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 28 के प0 नं0 28/262 (20) के किला नं0 13/0.126 है0, 14–15/0.5[illegible] है0 = [illegible]32 है0 कुल 2.529 है0।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का आदेश दिया जाता है। यदि प्रश्नगत रकबा रहन है तो वह संबंधित खातेदार के नाम यथावत् रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:11 IST
Reason: SelfAttested

आज.......x.......मुबलिग........x........बाबत्...............खर्चा इस मुकदमें मय शुद बशरह.......x.... ....कस्दों की पालना..............x...........आज की तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.07.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़